


अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश को तत्काल को अंतर्निहित कर
आदेश 39 नियम 3 (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित कर
अन्तरिम आदेश को आयन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से
न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग
जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की गई है
परिवर्तन की दशा में संशोधन / वैकेट कर दी जायेगी। अप्रार्थीगण
जरिये नोटिस मय आदेश तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 27.09.2024
को पेश हो।



(वृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

13⁰⁹/₂₀₂₄ शर्मा व वहीन शर्मा की ओर
से शर्मा पत्र विज्ञा पेश होने पर पत्र
तलब होकर पेश हुई। इस प्रापण से
सम्बंधित भूखण्ड विज्ञा किया जा चुका
है प्रापण से भी आगे कोई आपेक्षित
किया जाना अपेक्षित नहीं रहा है अतः
शर्मा का प्रापण अस्पाई निषेधाज्ञा की
विज्ञा की अतुलति के साथ खारिज किया
जाता है। पत्रावली जैसल शुमार होकर
नाम्मा से पत्र होकर दफ्तर डालिना है।



(वृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)